

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 147/2019 अपील (GCMS/2019/00171)
पंजीयन दिनांक - 28.11.2019
निर्णय दिनांक - 25.11.2021

1. श्री रूपा पिता नाना जी कालबेलिया, निवासी लदाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती प्रेमी बाई पत्नि किशना जी कालबेलिया, निवासी लदाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, सनवाड़ तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री खेमराज डांगी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-63/2018, बउनवानी श्री रूपा व अन्य बनाम उप तहसीलदार, सनवाड़ में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2021

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-63/2018, बउनवानी श्री रूपा व अन्य बनाम उप तहसीलदार, सनवाड़ पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या-1153, 1154, 1155 रकबा 17.13 बीघा भूमि किस्म चारागाह स्थित है, पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार, सनवाड़ में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, सनवाड़ द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी-अपीलार्थी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए लगान का 50 गुना शास्ति रूपये 300/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 07.09.2018 को पारित किया।

- उप तहसीलदार, सनवाड़ के निर्णय दिनांक 07.09.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 18.06.2019 को पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 17.07.2019 को ससमय पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 23.11.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा लदाना के आराजी नम्बर 1770/1661 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलार्थी ने क्रय की है व वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अपीलार्थी-1 की पत्नि चम्पाबाई और अपीलार्थी-2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। मौजा लदाना की आराजी संख्या-1153, 1154, 1155 चारागाह पर अपीलार्थी का सन् 1970 का पूर्व का कब्जा होकर इस पर अपीलार्थी का पक्का मकान बना हुआ है व इस भूमि पर काफी खर्चा कर आवादान बनायी है। अपीलार्थी एवं उसका परिवार इसी भूमि पर बने मकान में निवास कर रहे है जिस पर ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.1986 को यह प्रस्ताव लिया गया कि अपीलार्थी के अन्य कब्जेशुदा आराजी को खाली कर समस्त ग्रामवासियों के पशुओं को चरने के लिए छोड़ दी जावे तो विवादित भूमि अपीलार्थी के नाम कर दी जावें। इस चारागाह भूमि पर 100-150 परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे है इसलिए उक्त चारागाह भूमि से अपीलार्थी को बेदखल नहीं करने का ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया तथा उक्त ग्रामवासियों व भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तत्कालीन सरपंच द्वारा मौका परचा भी बनाया गया। इस तरह उक्त प्रस्ताव अनुसार अपीलार्थी ने अपने खातेदारी भूमि से कब्जा खाली कर दिया तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अपीलार्थी के नाम दर्ज भूमि की किस्म बिलानाम/चारागाह करायी जावेगी तथा अपीलार्थी के कब्जे की चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन कराकर अपीलार्थी के नाम दर्ज कराई जावेगी। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा किस्म परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई जिससे उक्त आराजीयात की किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकी जिससे उक्त आराजी चारागाह होने से अपीलार्थी को गलत नोटिस दिया जबकि उक्त आराजीयात पर ग्राम पंचायत की सहमति व ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव से कब्जा अपीलार्थी का चला आ रहा है जो अपीलार्थी के नाम नियमन होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की यह आपत्ति थी कि उप तहसीलदार, सनवाड़ द्वारा अपीलार्थी को न तो जवाब हेतु अवसर दिया गया, न साक्ष्य हेतु अवसर दिया व बिना किसी जांच के छपे छपाये फार्म में नाम पते भरकर आदेश

पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं कर कथित निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सनवाड़ द्वारा अपीलार्थी का नाजायाज कब्जा बताकर फसल की नीलामी 1700/- में जाना बताकर 1700/- वसूल करने का आदेश भी गलत दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलार्थी के नाम नियमन फरमायी जावे।

राजकीय पेटोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का आदेश विधि सम्मत होने एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, अतिक्रमण सन् 1970 से पूर्व का नहीं है। न ही ऐसी अतिक्रमित भूमि को किसी भी प्रचलित नियमों में नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय एवं कार्यवाही की गई है, वह उचित है। पारित दोनों निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि होकर चारागाह भूमि है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपतहसीलदार, सनवाड़ ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 07.09.2018 से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर, बेदखली, कायमी पेनाल्टी का आदेश दिया। इसके विरुद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय दिनांक 18.06.2019 से खारिज की गई। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका 1970 से पूर्व का कब्जा है, जिससे विवादित भूमि का नियमन किया जावे। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो अपीलार्थी के सन् 1970 पूर्व से लगातार कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जिसका उपयोग मात्र पशुओं की चराई हेतु किया जा सकता है, बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चारागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ हीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया गया हो तो भी ऐसे प्रस्ताव को

किसी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देय नहीं हो। द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील नहीं होकर अतिक्रमण बेदखली का होने से इसमें विचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत विषय अतिक्रमी की बेदखली का है। विचारणीय विषय अतिक्रमण नियमन नहीं होने से उस पर विचार कर निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधानित है। इस बेदखली के कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है। व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित होने पर ही आवेदन कर सकता है किन्तु स्वयं चयन कर अधिकार स्वरूप किसी भूखण्ड विशेष के आवंटन या नियमन का कथन अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की उप तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

विवादित भूमि चारागाह भूमि होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की पुष्टि की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर